



# उत्तर प्रदेश शासन

उत्तर प्रदेश के पिछड़ी जाति के लिए जाति प्रमाण पत्र

जिला सीतापुर  
तहसील लहरपुर  
आवेदन क्र. 020202020202  
प्रमाण पत्र क्र. 0101010101010

जारी दिनांक: 01/12/2006

प्रमाणित किया जाता है कि  
पुत्र/पुत्री  
माता का नाम  
निवासी

ग्राम  
तहसील  
जिला

DEMO USER  
DEMO FATHER'S NAME  
DEMO MOTHER'S NAME  
DEMO NATION'S NAME  
DEMO VILLAGES'S NAME  
DEMO DISTRICT'S NAME

PHOTO'S

उत्तर प्रदेश राज्य की कुर्मी जाति के व्यक्ति हैं। यह उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम १९९४ की अनुसूची एक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है की पवन कुमार वर्मा पूर्वोक्त अधिनियम १९९४ (यथा संशोधित) की अनुसूची २ (जैसा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम २००१ द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो उ०प्र० लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम २००२ एवं शासनादेश संख्या 22/16/92 टी० सी०-III, दिनांक २० अक्टूबर २००८ द्वारा संशोधित की गयी है, से आच्छादित नहीं है। इनके माता-पिता की निरन्तर तीन वर्षों की अवधि के लिए सकल वर्षिक आय आठ लाख रुपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धन कर अधिनियम १९५७ में यथा विहिप छुट सीमा से अधिक सम्पत्ति नहीं है।



डिजिटल लॉकर सेवा  
द्वारा  
डाउनलोडेड

स्वहस्ताक्षर

SHASHIVIND  
KUMAR  
DWIVEDI  
Digitally Signed  
by  
SHASHIVIND  
KUMAR DWIVEDI  
O=Personal,  
C=IN,  
CN=SHASHIVIND  
KUMAR DWIVEDI,  
L=KANPUR  
NAGAR,  
S=UTTAR  
PRADESH

सक्षम अधिकारी/तहसीलदार

डिजिटल हस्ताक्षरित  
लहरपुर सीतापुर  
दिनांक: 05/12/2022

यह प्रमाण पत्र डिजिटल हस्ताक्षरित मूल प्रमाण पत्र के आधार पर डिजिटल लॉकर सेवा के माध्यम से आवेदक द्वारा डाउनलोड किया गया है, वेबसाइट <https://edistrict.up.gov.in> पर इसका पहले आवेदन क्र. फिर प्रमाण पत्र क्र. अंकित कर, सत्यापित किया जा सकता है।